कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

Email: dfodoon@gmail.com Phone/Fax-0135-2627612

पत्रांक- 3062 / 12-1 देहरादून, दिनांक- 10 / 01 / 2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून

विषय :– उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेस वे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास किमी0 0.050 से किमी 12.220 तक निर्माण हेतु 20.0849 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/140350/2021)

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या–8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 67 / 2023 / एफ0सी0, दिनांक–03.04.2024 एवं महाप्रबन्धक (तक0) सह परियोजना निदेशक, प0का0ई0–वसन्त विहार, देहरादून का पत्रांक–NHAI/PIU/W/2023/Jhajhra-Asharori/Forest/7988, दिनांक–24.12.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयगत वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव में इंगित E.D.S. का प्रतिउत्तर प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है एवं ऑनलाईन परिवेश पोर्टल के माध्यम से दिनांक–10 / 01 / 2024 को उपलब्ध कराया गया है, जो कि निम्नवत् है :–

Sl. No.	EDS	Reply
i.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र गैर–वन भूमि के स्थान पर अवनत वन भूमि पर प्रस्तावित है। परन्तु, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र का चयन गैर–वन भूमि पर आवश्यकता है एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 के पैरा 16 (8) (ii) अनुसार 'Any provision of the extant rules will be applicable on the proposals which are yet to be granted 'in principle approval' under the Adhiniyam। अतः राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि वह क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त गैर–वन भूमि का चयन कर (KML File, CA Scheme, Maps etc.) प्रेषित करने का कष्ट करें।	बिन्दु संख्या 1 के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विषयांकित परियोजना के निर्माण हेत प्रस्तावित 20.0849 वन भूमि के एवज में प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत जनपद देहरादून, तहसील कालसी के अन्तर्गत ग्राम गडैता के खाता संख्या–44 के खसरा नं0 1 रकबा 12.000 है0, खसरा नं0 4 रकबा 3.000 है0, खसरा नं0 5 रकबा 8.000 है0 व ग्राम थैना के खाता संख्या 87 के खसरा नं0 766 रकबा 10.000 है0 तथा ग्राम लटौ के खाता सं0 91 के खसरा नं0 148 रकबा 8.000 है0, कुल रकबा 41.000 है0 भूमि चयनित की गयी है। जिलाधिकारी देहरादून द्वारा पत्र संख्या–330 / XIIA-20/डी0एल0 आर0सी0 / 2024, दिनांक 24 दिसम्बर, 2024 (प्रति संलग्न) से उक्त भूमि को वन विभाग को हस्तान्तरण / नामान्तरण किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्तानुसार चयनित भूमि में प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी द्वारा प्रेषित प्रतिपूरक वनीकरण एवं उसके 10 वर्षो के रख–रखाव की योजना, के0एम0एल0 फाईल, डी0एस0एस0 रिपोर्ट, टोपोशीट व जीयोरेफरेन्स मानचित्र एवं उपयुक्तता प्रमाण पत्र समोहर हस्ताक्षर सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं एवं उक्त दस्तावेज प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऑनलाईन पोर्टल के भाग–1 में यथास्थान अपलोड कर लिया गया है।

क्रमशः ...– 2

ii.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एक वचन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि Wildlife Management Work and Soil & Moisture Conservation Work हेतु भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा जो भी शर्त अधिरोपित /निर्धारित की जायेगी, उनका पूर्ण रूप से अनुपालन किया जायेगा।	विन्दु संख्या 2 के अनुपालन में ₹ 279.64 लाख धनराशि की वन्यजीव प्रवंधन योजना एवं ₹ 77.102 लाख धनराशि की मृदा और नमी संरक्षण योजना संलग्न है व पोर्टल पर Additional column में अपलोड कर दी गई है **(प्रति संलग्न)**। Wildlife Management Work and Soil & Moisture Conservation Work हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया वचन पत्र संलग्न है।

2. विषयांकित परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक–08 जनवरी 2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (In new format) में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

3. इसके अतिरिक्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रतिपूरक वनीकरण हेतु ग्राम लटौ में चयनित 8.000 है0 भूमि का दिनांक 13.11.2024 को वन विभाग की टीम के साथ संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसके दौरान उक्त वर्णित क्षेत्र में बरसात के कारण कंटीली लैन्टाना झाड़ियां एवं अन्य घास उगी पायी गयी, जिस कारण डी0एस0एस0 रिपोर्ट में यह क्षेत्र Moderate Dense आ रहा है। उक्त सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी के द्वारा उपयुक्तता प्रमाण पत्र के माध्यम से प्रमाणित किया गया है कि उच्च क्षेत्र में कंटीली झाड़ियां आदि के उन्मूलन के पश्चात क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र उपयुक्त है।

अतः उपरोक्तानुसार विषयांकित प्रस्ताव में वांछित सूचना/आख्या/दस्तावेज महोदय की सेवा में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(नीरज कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

संख्या :– 3062 /12–1 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महाप्रबन्धक (तक0) सह परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प.का0ई0–वसन्त विहार, देहरादून।

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून